न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर~~ राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4234

1– प्रभुदयाल तनय रामकिशोर तिवारी,

2– अरविन्द तनय रामसहाय तिवारी,

निबासी– भेलसी, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.............आवेदकगण

वनाम

1– कमला देवी बेवा पुरूषोत्तम सोनी,

निबासी– भेलसी, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2– राजस्व निरीक्षम मंडल डारगुंवा ,

तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी रा0 नि0 मंडल डारगुंवा, तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 10/अ12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30/05/2016 एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकिया से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलगन है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 01 द्वारा ग्राम भकेलसी के खसरा नंबर 1268/अ12/1269/1 , 1269/3 , 1270/1 , 1272/3 , 1333/2 किता 06 का सीमांकन वावद आवेदनपत्र देकर अनावेदक कमांक 02 से कराया, अनावेदक कमांक 02 द्वारा बगैर सीमांत कृषकों को सूचनापत्र जारी किये एवं आवेदकगण को भी सूचनापत्र

(48)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4234 प्रभुदयाल विरूद्ध कमला

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 04-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।<br>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल डारगुंवा के प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।<br>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।<br><br>(आर.के. जैन) 4.1.19<br>सदस्य | |